न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाडा

पीठासीन अधिकारी : **हरिसिंह,आर.ए.एस.**

1. श्री किरीत कुमार पुत्र अमृतलाल जाति ब्राह्मण निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही .... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा .... अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 192/2017

उपस्थिति : –

1. श्री नटवर सिंह चौहान, प्रार्थी अधिवक्ता

3. श्री गोंगाराम मीणा पेरोकार सरकार अप्रार्थी

दिनांक : 10-11-2020

–: आदेश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.20 17:35:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना [illegible] अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 वास्ते अस्थाई [illegible] हेतु आराजी अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अन[illegible]त का एक दावा अ[illegible] धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वास्ते घोषणा खातेदारी एव स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थी श्रीमान के न्यायालय मे पेश किया है। मौजा वासा पटवार हल्का वासा तहसील पिण्डवाडा की सरहद मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी

सहायक कलेक्टर पिण्डवाड़ा

संवत् 2069–2072 के अनुसार खाता संख्या 65 खसरा संख्या 948 से 957, 961 की रकबा 10 बीघा 13 बीस्वा लगान रूपये 44.40 वाली कृषि भूमि प्रार्थी के निजी खातेदारी की स्थित है। मौजा वासा पटवार हल्का वासा तहसील पिण्डवाडा की सरहद में स्थित एवं प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि से लगती हुई प्रार्थी के पुराने कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 960, 962 रकबा क्रमशः 2.0, 0.3 बीघा कुल 2.3 बीघा किस्म बंजर है। वादग्रस्त कृषि आराजी की जमाबंदी संवत् 2069–2072 व खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत् 2031–2072 है। प्रार्थना पत्र पद सं. 3 में वर्णित वादग्रस्त कृषि आराजी पर प्रार्थी का संवत् 2031 के पूर्व से अर्थात गत 40–42 साल से आमजन व राजस्व अधिकारीयों व अप्रार्थी की भूली भांति जानकारी में बिना किसी रोक–टोक निर्बाध ओर निरन्तर शांति पूर्वक कब्जा काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी ने कडी मेहनत मजदुरी कर एवं अपने जीवन की गाढी पूंजी खर्च कर वादग्रस्त कृषि आराजी को विकसित कर उसे कृषि योग्य व उपजाउ बनाया है तथा उस पर मक्की, ग्वार इत्यादि की खेती करता रहा है और जब जब भी प्रार्थी ने वादग्रस्त कृषि आराजी पर काश्त की है तब तब राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का कब्जा अंकित कर उसके विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की जाती रही है। वादग्रस्त कृषि आराजी रकबा 2.03 बीघा पर प्रार्थी का संवत् 2031 के पूर्व से कब्जा होने यानि गत 10–42 साल से आमजन तथा राजस्व अधिकारियों व अप्रार्थी की भली भांति जानकारी में बिना किसी रोकटोक निर्बाध और निरन्तर रूप से शांति पूर्वक कब्जा काबिज से प्रार्थी ने वादग्रस्त कृषि आराजी पर अपना हक बताते व जताते वादग्रस्त कृषि आराजी अपने नाम पर आवंटन करने व आराजी का अपने को खातेदार काश्तकार घोषित करने के लिए कई बार अप्रार्थी को निवेदन भी किया मगर अप्रार्थी हमेशा ही प्रार्थी को मात्र आश्वासन देते रहे और उनके द्वारा प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि आराजी से कभी भी बेदखल करने की कार्यवाही नहीं की गई। वादग्रस्त कृषि आराजी पर प्रार्थी का संवत् 2031 के पूर्व से यानिगत 40–42 साल से बिना किसी रोक–टोक निर्बाध और निरन्तर रूप से शांति पूर्वक कब्जा काबिज होने से प्रार्थी के विरूद्ध निरन्तर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत मुकदमे बनकर उनकी कार्यवाहीयां भी श्रीमान तहसीलदार साहब पिण्डवाडा की न्यायालय मे चलती रही है और प्रार्थी द्वारा उसका जुर्माना भी श्री सरकार को अदा किया जाता रहा है। आमजन एवं राजस्व अधिकारीयों व अप्रार्थी की भलीभांति जानकारी मे वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.20 17:35:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पिण्डवाडा

कृषि आराजी पर प्रार्थी का बिना किसी रोक टोक निंबाध और निरन्तर रूप से शांति पूर्वक कब्जा काबिज होने व आराजी का उपयोग उपभोग करने से प्रार्थी का वादग्रस्त कृषि आराजी पर प्रतिकुल कब्जा है और वादग्ररत कृषि आराजी के कानुनन खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और प्रार्थी विधि में वादग्रस्त कृषि आराजी का खातेदार काश्तकार भी बन चुका है और इस आधार पर वादग्ररत कृषि आराजी पर अप्रार्थी का कोई हक अधिकार नही रहा है। अतः प्रार्थी वादग्ररत कृषि आराजी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा अपने नाम करवाने का कानुनन हकदार है। प्रार्थी को उसके पुराने कब्जे काश्त की वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा सं. 960 व 962 रकबा 02.03 बीघा किस्म बंजर से हल्का पटवारी वासा बिना किसी विधिक हक अधिकार के जोर जबरदस्ती विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल कर उस पर अपने चहेते व्यक्ति को कब्जा धारण करवाना चाहते है इसलिए उन्होंने दिनांक 10.03.2019 को प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि आराजी से अपना कब्जा 15 दिवस में हटाने व 15 दिवस में कब्जा नहीं हटाने की सूरत में भू. अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार पिण्डवाडा के साथ मौके पर आकर जे.सी.बी. से जबरन कब्जा हटाकर बेदखल करने की चेतावनी दी है जिससे प्रार्थी को यह पुरी पुरी आशंका है कि अप्रार्थी, प्रार्थी को उसके पुराने कब्जे काश्त की वादग्रस्त कृषि आराजी रकबा 2.03 बीघा से कभी भी जोर जबरन विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल कर देंगे। अप्रार्थी को उसके उक्त कृत्य से रोकना प्रार्थी के लिए अति आवश्यक हो गया है लेकिन अप्रार्थी के विरूद्ध के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा प्रार्थी को अन्य कोई प्रभावकारी उपचार उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश है। प्रार्थी को उसके पुराने कब्जे काश्त की वादग्रस्त कृषि आराजी से अप्रार्थी को विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल करने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मजबूत मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति तीनो आवश्यक तत्व प्रार्थी के पक्ष में है और अप्रार्थी के विरूद्ध है और अप्रार्थी के विरूद्ध है। चूंकि वादग्रस्त कृषि आराजी पर प्रार्थी का संवत् 2031 के पूर्व से यानि गत 40–42 साल से बिना रोक टोक निबार्ध और निरन्तर शांति पूर्वक कब्जा काबिज हाने से विधि में उसे वादग्रस्त कृषि आराजी के खातेदारी हक अधिकार भी प्राप्त हो चुके है और वह वादग्रस्त कृषि आराजी का खातेदार काश्तकार भी बन चुका है और इस आधार पर अब अप्रार्थी का वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.20 17:35:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा

कृषि आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं रहा है। यदि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि आराजी से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को उसके पुराने कब्जे काश्त की कृषि आराजी व हक हकूको से हमेशा हमेशा के लिए मेहरूम होना पडेगा तथा उसे बेवजह बहु विवाद में उलझना पडेगा तथा खर्चे में भी जैरबार होना पडेगा जिससे प्रार्थी को भारी असुविधा और अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों पैसो में किया जाना संभव नहीं होगा। जबकि अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोके जाने पर अप्रार्थी को कोई असुविधा या क्षति नहीं होगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बाद तलबी अप्रार्थी व सुनवाई पक्षकारान अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराना फरमावे कि अप्रार्थी स्वयं अथवा अपने किसी अधिनस्थ कर्मचारी अधिकारी एजेन्ट ठेकेदार इत्यादि के जरिये प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित व मौजा वासा में स्थित वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा संख्या 960व 962 रकबा 2.03 बीघा किस्म बंजर से प्रार्थी को किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं करे और न करावे तथा प्रार्थी को उस पर काश्त करने में एवं आराजी के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या क्षति कारित नहीं करे ओर न करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 26.06.2019 दर्ज किया जाकर अप्रार्थी गणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की तामिली पर अप्रार्थी अरोकार सरकार की ओर से श्री गोगाराम मीणा ने उपस्थिति दी। स्टेट ने कोई जवाब पेश नहीं किया।

प्रकरण में दिनांक 02.11.2020 को बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास ही विवादित भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थी 42 वर्षो से निर्विवाद कब्जा है। सरकार को भूमि के कब्जे के संबंध में किसी भी प्रकार की आपति नहीं है। प्रार्थी द्वारा धारा 91 के निर्णय पर प्रार्थी द्वारा जुर्माना राशि जमा करवाई जा रही है अतः वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा संख्या 960व 962 रकबा 2.03 बीघा किस्म बंजर प्रार्थी को किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं करे और न करावे तथा प्रार्थी को उस पर काश्त करने में एवं आराजी के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या क्षति कारित नहीं करे ओर न करावे। स्टेट की ओर पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि सरकारी भूमि है जिसपर प्रार्थी ने कब्जा किया है। प्रार्थी को प्रतिवर्ष धारा 91

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.20 17:35:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बेदखल किया जाता रहा है प्रार्थी का विवादित भूमि पर लागातार कब्जा काश्त नहीं है विवादित भूमि सार्वजनिक भूमि है जिससे किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश देने से पूर्व तीन शर्तों को देखा जाना आवश्यक है 1. प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला 2. प्रार्थी को अपूरणीय नुकसान हो सकता है एवं 3. प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– विवादित कृषि भूमि प्रार्थी की नहीं होकर अप्रार्थी स्टेट की है। अतः प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पास है।
2. **अपूरणीय क्षति** :– विवादित कृषि भूमि प्रार्थी की न होकर अप्रार्थी स्टेट की है। अतः प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पास है। जिससे प्रार्थी को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है।
3. **सुविधा का संतुलन** :– चुंकि विवादित भूमि सरकार के स्वामित्व की है। अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थी स्टेट के पक्ष में है।

अतः अस्थाई व्यादेश के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही होने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

(हरिसिंह)
सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा
सहायक कलक्टर,पिण्डवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.20 17:35:33 IST
Reason: SelfAttested

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक– [illegible] को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह)
सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा
सहायक कलक्टर,पिण्डवाडा